(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
श्रीमती मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2711–पी.बी.आर./2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.06.2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम – प्रकरण कमांक 35/2011–12 अपील

गोवर्धन लाल पुत्र हेमराज पाटीदार
ग्राम घामेड़ी तहसील पिपलोदा
जिला रतलाम, मध्य प्रदेश --- आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन व्दारा अनुविभागीय अधिकारी
जाबरा जिला रतलाम
2– बद्रीलाल पुत्र हेमराज पाटीदार
ग्राम घामेड़ी तहसील पिपलौदा
जिला रतलाम मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(श्री लखनसिंह धाकड़ अभिभाषक – आवेदक)
(श्री ए.के.श्रीवास्तव पैनल लायर–अनावेदक क–1)
(श्री के.एस.कुशवाह अभिभाषक– अनावेदक क–2)

अ ा दे श

(आज दिनांक 01–10– 2015 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी, जावरा जिला रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 35/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.6.2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गतयह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–2 ने कलेक्टर रतलाम को म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के

अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि उसके स्वामित्व की ग्राम धामेड़ी स्थित आराजी क्रमांक 226/1 रकबा 2.581 हैक्टर बंदोवस्त के पूर्व दर्ज रही है जिसका बंदोवस्त के वाद सर्वे नंबर 103 रकबा 2.31 हैक्टर रिकार्ड में त्रृटिपूर्ण दर्ज हो गया है जिसके कारण 0.21 हैक्टर रकबा कम हुआ है, दुरूस्ती की जावे। भू प्रबंधन अधिकारी रतलाम ने प्रकरण क्रमांक 11 अ-6-अ/05-06 पंजीबद्ध किया एंव जांच कार्यवाही प्रारंभ की। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित रहते हुये भू प्रबंधन अधिकारी जिला रतलाम के न्यायालय में आर्डरशीट दिनांक 28.3.08 के वाद प्रकरण में कार्यवाही नहीं हुई तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी जावरा को अंतरित होने पर दिनांक 8-2-11 को पेशी पर लिया गया एंव नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसीलदार पिपलौदा को अंतरित कर दिया। तहसीलदार पिपलौदा ने प्रकरण क्रमांक 9 अ-5/10-11 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 5.1.12 को निर्णय लिया कि बटवारा बंदोवस्त के वाद होने से बंदोवस्त की त्रुटि न होने के कारण प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है, प्रकरण खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, जावरा के समक्ष अपील क्रमांक 35/11-12 प्रस्तुत हुई, जिसमें आवेदक ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन देकर अपील प्रकरण की सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को न होने की आपत्ति की। अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्षों को श्रवणोपरांत आदेश दिनांक 29.6.13 पारित किया एंव आवेदकका आपत्ति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों

के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दि. 29.6.2013 के अवलोकन से प्रकरण में देखना है कि क्या संहिता की धारा 89 के प्रकरण में तहसीलदार व्दारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अपील सुनने हेतु सक्षम हैं अथवा नहीं ? भू प्रबंधन अधिकारी रतलाम के प्रकरण क्रमांक 11 अ-6-अ/05-06 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्र-2 ने उनके समक्ष संहिता की धारा 89 के अंतर्गत बंदोवस्त की त्रृटि सुधार का आवेदन दिया है जो बाद में अनुविभागीय अधिकारी जावरा के न्यायालय को अंतरित हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी जावरा की आर्डरशीट दिनांक 8.2.11 इस प्रकार है :-

- **प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण अपर कलेक्टर भू-प्रबंधक अधिकारी जिला रतलाल के पत्र क. भू.प्र./10 के संलग्न प्राप्त हुआ। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों अनुसार नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसीलदार जावरा/पिपलौदा की ओर भेजा जाता है। ***

उपरोक्त आदेश का अर्थ यह हुआ कि धारा 89 का आवेदन तहसीलदार की ओर अंतिम निराकरण के लिये नहीं भेजा गया था, क्योंकि संहिता की धारा 89 के आवेदन के निराकरण के अधिकार तहसीलदार को नहीं है अर्थात अनुविभागीय अधिकारी जावरा ने जांच कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसीलदार को भेजा है किन्तु तहसीलदार ने प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 5-1-12 पारित करके अधिकार-विहीन आदेश दिया है जो विधि के प्रभाव से शून्यवत् है।

5/ प्रकरण में यह भी विचारण योग्य है कि तहसीलदार व्दारा धारा 89 के अंतर्गत पारित अधिकारविहीन अंतिम आदेश दिनांक 5-1-12 के विरूद्ध क्या अनुविभागीय अधिकारी अपील सुनने हेतु सक्षम हैं ? तहसीलदार व्दारा भले ही अनुविभागीय अधिकारी के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत विचार-योग्य मामले में अधिकार-विहीन आदेश पारित किया हो - तहसीलदार व्दारा पारित प्रत्येक अंतिम आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आपत्ति आवेदन अमान्य करने में त्रृटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अनुविभागीय अधिकारी, जावरा जिला रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 35/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.6.2013 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारों को न्यायदान की दृष्टि से अनुविभागीय अधिकारी, जावरा प्रथक से संहिता की धारा 89 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर नियमानुसार आदेश पारित करें।

(श्रीमती मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर